NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 1.4.2025
Page No. 10, Size:(6.27)cms X (2.61)cms.

Samir Singh appointed Joint Secretary, NHRC

Samir Singh, Additional Divisional Railway Manager (ADRM), Delhi, Northern Railway (NR), has been selected for deputation to the post of Joint Secretary, National Human Rights Commission (NHRC), under the Ministry of Home Affairs (MHA), for a tenure of five years. He is an Indian Railway Traffic Service (IRTS) officer.

DAINIK BHASKAR, Ambala, 1.4.2025
Page No. 4, Size:(17.93)cms X (13.55)cms.

नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर ने बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज़ | अम्बाला

नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने रविवार को जिले के विभिन्न सरकारी विभागों का निरीक्षण दौरा किया। इसके साथ-साथ बाल सुधार गृह का भी निरीक्षण किया। जिसमें सभी बच्चों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया गया। बच्चों के समग्र विकास के लिए दी गई सेवाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सुधार गृह में राशन सामग्री, साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो सफाई से बनवाएं। बनाने के बाद देने से पहले खुद देख लें कि खाना ठीक बना है या नहीं। राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित में बहुमूल्य सुझाव भी दिए गए। जिसमें विशेष तौर पर बच्चों के केसों की पैरवी करने हेतु सरकारी वकील के बारे में बच्चों को जागरूक किया। मौके पर महिला एवं बाल विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा, जिला प्रशासन से तहसीलदार आदित्य रंगा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता रानी, बाल कल्याण समिति सदस्य खुशपाल सिंह, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य टीना मित्तल, हेल्थ विभाग से डॉ. राजिंदर राय, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शहरी सुमन दहिया, अधीक्षक धर्मपाल आदि मौजूद रहे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HARI BHOOMI, Panipat, 1.4.2025
Page No. 12, Size:(17.93)cms X (14.25)cms.

कई विभागों का औचक निरीक्षण

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बोले बच्चों को खाना परोसने से पहले खुद चखकर देखे अधिकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ अंबाला

अंबाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर हेल्थ विभाग में औचक निरीक्षण करते हुए। फोटोः हरिभूमि

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने सोमवार को जिले के विभिन्न सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ-साथ बाल सुधार गृह का भी निरीक्षण किया जिसमें सभी बच्चों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया गया और बच्चों के समग्र विकास के लिए दी गई सेवाओं और गतिविधियों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान सुधार गृह में राशन सामग्री, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसको सफाई के साथ बेहतर तरीके से बनाने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित में बहुमूल्य सुझाव भी दिए गए। जिसमें विशेष तौर पर बच्चों के केसों की पैरवी करने हेतु सरकारी वकील बारे बच्चों को जागरूक किया गया। निरीक्षण के दौरान खेल गतिविधियां बढ़ाने बारे, रोजगार प्रदान करने का प्रशिक्षण देने बारे स्टाफ को निर्देश दिए गए।

HINDUSTAN, Gorakhpur, 1.4.2025
Page No. 10, Size:(8.92)cms X (6.06)cms.

आशा वर्करों को निश्चित पेंशन दी जाए

आयोग के सुझाव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लाखों आशा कार्यकर्ताओं को एक निश्चित वेतन, भत्ता, पेंशन संग औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा देने का सुझाव दिया है।

आयोग ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने करीब 20 सालों से उल्लेखनीय कार्य किया है और इसकी वजह से देश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ऐसे में उनकी कार्य स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक ठोस नीति और कार्रवाई योग्य उपायों को अपनाने की जरूरत है। एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता में हाल ही में 'मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को सशक्त बनाना' विषय पर हुई कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कई सुझाव दिए गए।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामसुब्रमण्यन ने कहा कि औपचारिक शिक्षा के बगैर भी लोगों को कुशल कामगार बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में जहां शिक्षित लोगों की संख्या बहुत है, वहीं कुशल कामगारों की भारी कमी है, ऐसे में आशा योजना के माध्यम से इस अंतर को दूर किया जा सकता है।

ब्रिज कोर्स शुरू करें

आयोग ने औपचारिक स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से ब्रिज कोर्स शुरू करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करते हुए किफायती समुदाय आधारित देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया।

Matters India

Award winning documentary on India's first transgender police officer released

https://mattersindia.com/2025/03/award-winning-documentary-on-indias-first-transgender-police-officer-released/

By: C.M. Paul | On: March 31, 2025

C.M. Paul

Chennai, March 31, 2025 – Marking Transgender Day of Visibility, DBMedia Network Chennai has released the acclaimed documentary "TRANSCENDER," chronicling the inspiring journey of K. Prithika Yashini, India's first transgender police officer.

The 28-minute documentary celebrates Yashini's historic achievement, highlighting her resilience and determination in breaking societal barriers. Yashini joined the police force on October 9, 2017, shattering glass ceilings and paving the way for greater inclusivity within law enforcement.

"This documentary aims to ignite a crucial public dialogue, shedding light on the challenges faced by the transgender community," stated Fr. Ernest Rosario, Director and Producer of "TRANSCENDER" and Secretary of Boscom South Asia.

Currently serving as a Sub-Inspector in Chennai, Yashini's story is one of triumph over adversity.
Rosario, who also penned the documentary's script, emphasized, "Prithika's pursuit of her childhood dream defied societal norms that often confine transgenders to marginalized lives."

The documentary also addresses the complex relationship between the transgender community and law enforcement.

"Donning the khaki was particularly significant given the instances of police harassment and abuse against transgender individuals," Rosario noted.

He further explained, "Prithika's presence within the police force represents a powerful step towards a more just and equitable criminal justice system for vulnerable communities."

"TRANSCENDER" has garnered significant recognition, including a National Human Rights Commission of India (NHRC) award in 2019. The documentary also received prestigious international nominations, including at the BAFTA (British Academy Awards), Peace on Earth Film Festival (Chicago), and Wicked Queer (Boston). END

Indian Masterminds

IRTS Officer Samir Kumar Appointed as Joint Secretary, NHRC

Mr. Samir Kumar is a 1999-batch IRTS officer

https://indianmasterminds.com/news/irts-officer-samir-kumar-appointed-as-joint-secretary-nhrc-110924/

Indian Masterminds Bureau | March 31, 2025

Mr. Samir Kumar, a 1999-batch IRTS officer, has been appointed as Joint Secretary in the National Human Rights Commission (NHRC) under the Ministry of Home Affairs. His appointment, at Level 14 of the Pay Matrix, will be for a tenure of five years.

Mr. Kumar has had a distinguished career in railway operations and commercial management. He previously served as Chief Commercial Manager for the Government of India, where he demonstrated expertise in policy implementation and government administration.

With extensive experience in the railway sector and a strong commitment to public service, Mr. Kumar is well-positioned to contribute effectively to NHRC's mission of safeguarding and promoting human rights in the country.

Times of India

Special children suffer as rehab centre in Rohtak falls short of basic infra: Rights panel

https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/special-children-suffer-as-rehab-centre-in-rohtak-falls-short-of-basic-infra-rights-panel/articleshow/119822081.cms

Apr 1, 2025, 12.50 AM IST

Gurgaon: Unhygienic toilets, leaking water and absence of modern equipment and trained staff — State Institute for Rehabilitation, Training and Research, Rohtak (SIRTAR) has drawn severe flak for mismanagement from Haryana Human Rights Commission (HHRC), which has sought a compliance report before July 22.

The compliance includes an independent audit, well-trained therapists and immediate repair of old equipment among other things. The lack of proper care and resources for special children is "not just an institutional failure" but also a violation of basic human rights, the panel has said.

Calling these violations as a serious breach of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, HHRC chairperson Justice Lalit Batra, in his order on Saturday, observed that every child, regardless of their abilities, has the fundamental right to healthcare, education and equal opportunities.

The divisional commissioner of Rohtak, who is also the chairman of the managing committee of SIRTAR (Rohtak), has been told to submit the compliance report before the next date of hearing scheduled for July 22. The order was passed over a complaint filed by parents seeking urgent intervention to address the neglect of the workforce, inadequate therapy services, and other prominent matters at SIRTAR, which are severely affecting the well-being and development of special needs children. The complaint highlighted that the physiotherapy workshop contains broken and outdated equipment that was not repaired despite repeated complaints. The lack of functional therapy equipment directly impacts the rehabilitation and progress of the children.

"Denying them access to essential therapy services infringes on their right to dignity, personal development and social inclusion, which are protected under national and international human rights frameworks," the commission observed.

"Failure of authorities to provide proper therapy services to special needs children violates their fundamental rights to life and dignity under Article 21 of the Constitution. It is the duty of the state to ensure that these children are provided with the care, dignity, and support they rightfully deserve," the commission said.

The commission directed an independent audit of the facilities, therapy services, transport, sanitation and overall administration at SIRTAR (Rohtak) to ensure compliance with safety and disability welfare standards. Immediate repair and upgrade of outdated

physiotherapy equipment with modern, functional therapy tools are essential for the rehabilitation of special needs children, it said, adding, "Ensure the presence of qualified and well-trained physiotherapists and speech therapists to meet the specific needs of special children, along with strict monitoring of teacher performance."

Installation of CCTV cameras in the physiotherapy rooms is necessary to prevent negligence and unauthorised activities within the institution, the commission said. It has directed the authorities to conduct inspections of school buses to ensure buses are safe and roadworthy, install CCTV cameras in buses and ensure bus doors remain closed while moving. Staff behaviour, including that of attendants and conductors, should be strictly monitored, with action taken against mistreatment of children, it has ordered. Improve sanitation facilities on school premises, ensuring clean toilets with functional hygienic amenities, proper drainage and installation of rubber mats in water leakage-prone areas, it has said.

The complaint had pointed out that the buses hired on contract for transporting children are in an extremely poor state, with torn seats, broken windows covered with cardboard and no CCTV cameras as per govt regulations. The main bus gates remain open while moving, exposing children to extreme cold in winter and heat waves in summer.

This negligence endangers the lives of the children. The attendants and conductors on the buses fail in their duty to ensure the safety of children. There have been instances where an attendant forcefully pulled children's hair to wake them up, causing distress and pain. Such actions amount to inhuman treatment.

Despite having basic training in speech therapy, the staffers neglect their duty, resulting in the deterioration of children's speech abilities. The institution failed to employ dedicated speech therapists or ensure that existing staff fulfil their responsibilities. The toilets are in unhygienic conditions, lacking proper facilities such as flushing mechanisms and soap.

The drinking water areas have water leakage, creating a risk of children slipping and injuring themselves or suffering electric shocks. Despite repeated complaints, no action was taken to install rubber mats or fix the issue.

Hindustan

आशा कार्यकर्ताओं को एक निश्चित वेतन-भत्ता और पेंशन का लाभ देने का सुझाव

प्रभात कुमार नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-proposes-formal-status-and-benefits-for-asha-workers-in-india-201743422704359.html

31 मार्च 2025

प्रभात कुमार नई दिल्ली।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लाखों आशा कार्यकर्ताओं को एक निश्चित वेतन, भत्ता, पेंशन के साथ-साथ औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा देने का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि 'आशा कार्यकर्ताओं ने करीब 20 सालों से उल्लेखनीय कार्य किया है और इसकी वजह से देश में नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ऐसे में उनकी कार्य स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए एक ठोस नीति और कार्रवाई योग्य उपायों को अपनाने की जरूरत है।

एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता में हाल ही में 'मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को सशक्त बनाना विषय पर हुई कोर ग्रुप की बैठक में सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद कई सुझाव दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामसुब्रमण्यन ने कहा कि औपचारिक शिक्षा के बगैर भी लोगों को कुशल कामगार बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में जहां शिक्षित लोगों की संख्या बहुत है, वहीं कुशल कामगारों की भारी कमी है, ऐसे में आशा योजना के माध्यम से इस अंतर को दूर किया जा सकता है। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक समाज में उनके योगदान के अनुपात में नहीं है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामसुब्रमण्यन ने कहा कि विडंबना यह है कि जो लोग समाज में सबसे अधिक योगदान देते हैं, उन्हें अक्सर सबसे कम मिलता है और जो लोग हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करते हैं, वे खुद हाशिए पर चले जाते हैं। एनएचआरसी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अलावा कई अन्य विभागों व विशेषज्ञों ने भी अपने-अपने ने भी विचार व्यक्त किए। विस्तार से चर्चा के बाद आयोग ने आशा कार्यकर्ताओं एक निश्चित वेतन, भत्ता, पेंशन के साथ-साथ औपचारिक कार्यकर्ता का दर्जा देने का सुझाव दिया। आयोग ने राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के वेतन का मानकीकरण के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि मानदेय न्यूनतम वेतन से कम न हो। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना कवरेज भी मुहैया कराने को कहा है।

आशा कार्यकर्ताओं के लिए शुरू हो ब्रिज कोर्स

आयोग ने औपचारिक स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से ब्रिज कोर्स शुरू करने की सिफारिश की है। इसके

अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करते हुए किफायती समुदाय आधारित देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है।

कुछ प्रमुख सुझाव

- बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम से अप्रयुक्त निधियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। बैठक में बताया गया है कि इस मद में 2022 तक 49 हजार 269 करोड़ रुपये बिना किसी उपयोग के कोष में रखें है।

-• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों पर राज्य द्वारा वित्त पोषित क्रेच स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि आशा कार्यकर्ताओं को सहायता मिल सके जो घर पर प्राथमिक देखभालकर्ता भी हैं।

-आशा कार्यकर्ताओं के लिए नर्सिंग, दाई का काम और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन जैसी उच्च-भुगतान वाली स्वास्थ्य सेवा भूमिकाओं में संक्रमण के लिए संरचनात्मक देखभाल मार्ग विकसित करें। • रोग निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया में नियमित कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान दें।

आंकड़े

देशभर में कुल 9 लाख 35 हजार आशा कार्यकर्ता।

मानदेय- सभी राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अलग-अलग है। कहीं पर तीन हजार तो कहीं 7,500 रुपये तक है। इसके अलावा, उनको कुछ अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है।